मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

राज्य पारेषण उपकम (म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में)
CIN-U40109MP2001SGC014880
शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.)–482008
☎ No. (0761)2702920, ईमेल ddpfmpptcl@gmail.com, वेबसाईट - www.mptransco.in

20 DEC
I/No. 38621
INDORE

क्रमांक भ0नि0 / न्यास / ट्रांस्को / एफ–476 / 1813 जबलपुर, दिनांक 19/12/17

प्रति,

कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एंड ए.)ए
म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. / म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. / एम.पी.पॉ.मै.कं.लि. /
म.प्र.पूर्व / पश्चिम / मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं.लि.,
जबलपुर / इंदौर / भोपाल।

JS-I/II/III/05.

विषयः– म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास मंडल के अभिदाताओं को "अभिदाता घोषणा पत्र 2018" की जानकारी प्रदान करने विषयक।

–000–

म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य न्यास मंडल की दिनांक 13.10.2017 को संपन्न 78वीं बैठक में अभिदाताओं हेतु "अभिदाता घोषणा पत्र 2018" जारी किया गया है, जो कि संलग्न प्रेषित है। आपकी कंपनी के समस्त अभिदाताओं के मध्य उक्त अभिदाता घोषणा पत्र का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सचिव
म.प्र.वि.मं. कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
जबलपुर

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर

16514
29.12.17

पृ.क्र.प्रनि / पक्षे / स्था–4 / J.S.-II / GPF Cir.-3 / 2017 / 25199 इन्दौर / दिनांक 28 DEC 2017

प्रतिलिपी :–

1. कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.), म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
2. मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., उज्जैन ।
3. निदेशक (तकनीकी), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
4. निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
5. कार्यपालक निदेशक (क्रय एवं फीडर सेपरेशन) कार्पोरेट कार्यालय,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर।
6. कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
7. मुख्य अभियंता एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आरएपीडीआरपी–ए एवं बी तथा आयपीडीएस) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
8. मुख्य अभियंता एवं मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, इन्दौर ।
9. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
10. अतिरिक्त मुख्य अभियता (एमटी) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
11. अधीक्षण यंत्री (कार्य / विस / व्या.विकास / एचटी प्रकोष्ठ) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर ।
12. अधीक्षण यंत्री (भण्डार / एमटी-प्रथम / द्वितीय) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।

Put up on Web site
SBC (IT)

"अभिदाता चार्टर"

म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
ब्लॉक क्रमांक – 2, प्रथम तल
शक्ति भवन, रामपुर
जबलपुर (म.प्र.)

2018

1. विहंगम दृष्टि

म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास का ध्येय है कि स्वयं को राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए, निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराएं :

1.1 भविष्य निधि अंतिम भुगतान कार्य हेतु वर्तमान में उपलब्ध कर्मचारियों के आधार पर अंतिम भुगतान में लगने वाले वर्तमान समय को घटाकर एक माह करना।

1.2 भविष्य निधि अभिदाताओं को परेशानी रहित सेवायें उपलब्ध कराना।

1.3 स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना।

1.4 अभिदाताओं के खातों का मासिक अद्यतन करना। (न्यास की वेबसाइड पर उपलब्ध है।)

1.5 अभिदाताओं के खातों की ऑन–लाईन पहुँच। (न्यास की वेबसाइड पर उपलब्ध है।)

2. ध्येय

हमारा ध्येय अभिदाताओं के विश्वास को हमारी प्रणाली, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के प्रति जीता जा सके, जिससे हम सदस्यों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में भागीदार बन सकें।

3. सेवा मानदण्ड

क्रम संख्या	प्रमुख सेवाएं	मानदण्ड
1	भविष्य निधि नामांकन	03 कार्य दिवस
2	भविष्य निधि आंशिक अंतिम आहरण (आवश्यक प्रकरणों में)	07 कार्य दिवस
3	भविष्य निधि आंशिक अंतिम आहरण(सामान्य प्रकरणों में)	35 कार्य दिवस
4	भविष्य निधि अंतिम भुगतान (प्रकरण प्राप्त होने के बाद)	06 माह

Secretary
Board of Trustee
M.P.E.B. E.P.F
Jabalpur

4. अंशदाता के अधिकार

4.1 पूर्ववर्ती विद्युत मंडल के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि सदस्यता प्राप्त करना।
4.2 किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में दावा प्राप्त करने हेतु परिजनों को नामांकित करना।
4.3 वार्षिक विवरण को नियमित रूप से प्राप्त करना।
4.4 भविष्य निधि कार्यालय से निःशुल्क दावा प्रपत्र प्राप्त करना।
4.5 दावा प्रपत्र भरने में सहायता/मार्गदर्शन प्राप्त करना।
4.6 नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से भविष्य निधि कार्यालय में दावा प्रपत्र प्रेषित करना।
4.7 भविष्य निधि कार्यालय में प्रपत्र प्रस्तुत होने पर आवश्यक प्रकरणों में अधिकतम सात दिवसों के अंदर तथा सामान्य प्रकरणों में अधिकतम 35 दिवसों के अंदर आंशिक अंतिम आहरण प्राप्त करना।
4.8 दावा प्रस्तुत करने के छः माहों के अंदर भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्राप्त करना।
4.9 असुविधा होने पर शिकायत दर्ज करना तथा 10 दिवसों के अंदर निवारण प्राप्त करना।
4.10 शिकायतों के निवारण के लिए बिना पूर्व आज्ञा लिए मिलना।

5. नियंत्रण अधिकारियों के अधिकार

5.1 भविष्य निधि प्रकरणों के संबंध में भविष्य निधि कार्यालय पहुँच कर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करना।
5.2 भविष्य निधि कार्यालय से विविध प्रपत्रों के प्रारूप को निःशुल्क प्राप्त करना।

6. शिकायत निवारण प्रणाली

जन शिकायत अधिकारी का नाम एवं संपर्क विवरण

उप निदेशक (भवि.निधि)

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

ब्लॉक नंबर–2, प्रथम तल, जबलपुर (म.प्र.)

दूरभाष : 0761–2702920

वेबसाइड – **www.mpebepf.com**

ई–मेल – **ddpfmpptcl@gmail.com**

Secretary
Board of Trustee
M.P.E.B. E.P.F
Jabalpur

7. शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्याशित प्रतिक्रिया

म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी भविष्य निधि न्यास द्वारा 10 दिवसों के अंदर शिकायत निवारण की सामान्य समय–सीमा निर्धारित की है। अगर किसी अभिदाता द्वारा अपने ई–मेल पहचान के बारे में उल्लेख किया हो तो उत्तर भी ई–मेल पर दिया जाएगा। हॉर्ड कॉपी के जरिए सदस्य के पते पर भी उत्तर भेजने का प्रावधान है।

8. नियंत्रण अधिकारी से अपेक्षाएं

- अभिदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न दावा प्रपत्रों को सत्यापित कर, भविष्य निधि कार्यालय को अविलंब प्रेषित करना।

9. चार्टर समीक्षा के लिए अगली तारीख (माह एवं वर्ष)

एक वर्ष पश्चात् (जनवरी 2019)

सचिव
म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी
भविष्य निधि न्यास

अध्यक्ष
म.प्र. विद्युत मंडल कर्मचारी
भविष्य निधि न्यास